

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/13409

दिनांक: 02-12-2025

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 16.09.2025 द्वारा श्रीमती खातून सदस्य वार्ड सं0 18 को नगरपालिका नोहर के अध्यक्ष पद के कार्यभार हेतु 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये अधिकृत किया गया था।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) (iv) (क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती खातून सदस्य वार्ड सं. 18 को नगरपालिका नोहर में अध्यक्ष के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव,

दिनांक: 02-12-2025

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/13410-13421

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासनविभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासनविभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर/जिला कलेक्टर हनुमानगढ़।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
8. उपखण्ड अधिकारी, नोहर।
9. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नोहर।
10. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
11. सुरक्षितपत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Pratik Chandrashekhra Jaihar
Designation: Director
Date: 2025.12.02 20:35:32 IST
Reason: Approved

